अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 05/2017- सीमा-शुल्क

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,-

(क) विद्युत के उत्पादन या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक गठन; या

(ख) बायोगैस या बायोमीथेन पर या उपोत्पाद हाइड्रोजन द्वारा प्रचालित प्रणालियों के संतुलन,

के लिए मशीनरी जिसके अंतर्गत उपकरण, यंत्र और साधित्र, पारेषण उपस्कर और सहायक उपस्कर (जिसके अंतर्गत जांच और क्वालिटी नियंत्रण के लिए जो अपेक्षित है) और संघटक सहित अपेक्षित मशीनरी के सभी मदों पर जब कभी भारत में आयात किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, जो 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क की छूट देती है जो केंद्रीय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-

(1) आयातकर्ता, यथास्थिति, केंद्रीय सीमा-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त को नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से इस छूट की मंजूरी की सिफारिश करने वाला प्रमाण-पत्र ऐसे मद का परिमाप, वर्णन और विनिर्देशन उपदर्शित करते हुए पेश करता है कि मद,-

(क) विद्युत के उत्पादन या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक गठन; या

(ख) बायोगैस या बायोमीथेन पर या उपोत्पाद हाइड्रोजन द्वारा प्रचालित प्रणालियों के संतुलन, के लिए अपेक्षित हैं;

(2) आयातकर्ता, यथास्थिति सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त को एक वचनबंध देगा कि ऐसी आयातित मद ऊपर यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी और, यदि आयातकर्ता इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे मद की बाबत जिसका इस

प्रकार उपयोग किया जाना साबित नहीं हुआ है, ऐसे मद पर उद्ग्रहीत परंतु इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त शुल्क के अंतर के बराबर रकम और जो आयात के समय पहले ही संदत्त की जा चुकी है, अदा करने के लिए दायी होंगे ।

[फा.सं. 334/07/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार